आरबीआई की रिस्ट्रक्चरिंग २.० स्कीम पर अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्न

1. आरबीआई द्वारा मान्य रिस्ट्रक्चरिंग २.० स्कीम क्या है?

आरबीआई ने ग्राहकों पर उल्लेखनीय आर्थिक तनाव डालनेवाली कोविड-१९ महामारी के कारण आई आर्थिक गिरावट का समाधान करने के लिए समाधान योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बैंकों और लेंडिंग इंस्टीट्यूशन्स के लिए एक रूपरेखा प्रदान की है. रूपरेखा और विनियामक दिशानिर्देशों के आधार पर आपके बैंक ने उन व्यक्तियों और निकायों के लोन की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अपनी नीति बनाई है जो कोविड-१९ महामारी के कारण प्रभावित हुए हैं.

2. रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कौन पात्र है?

ए) व्यक्ति और निकाय जिन्हें १ अप्रैल २०२१ के अनुसार बैंक के साथ स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है.
बी) ग्राहक को आय/ नकद प्रवाह में कमी/ हानि के स्वरूप में कोविड-१९ महामारी द्वारा आर्थिक रूप से प्रभावित होना चाहिए.
सी) केवल वही खाते जो १ अप्रैल २०२१ के अनुसार बैंक की बही में हैं, वही पात्र होंगे.
डी) आय में कमी और ग्राहक पर उसके आर्थिक प्रभाव की समीक्षा प्रदान किए गए दस्तावेजों/जानकारी के आधार पर बैंक द्वारा की जाएगी जो कोविड-१९ के कारण नकद प्रवाह में गिरावट दर्शाता है. बैंक रिस्ट्रक्चरिंग की अनुमति देने से पहले प्रदान किए गए दस्तावेजों के आधार पर रिस्ट्रक्चर्ड ईएमआई का भुगतान करने की ग्राहक की व्यावहारिकता का आकलन करेगा. व्यावहारिकता की गणनाओं के अलावा, ग्राहक का पुनर्भुगतान का ट्रैक रेकॉर्ड, क्रेडिट ब्यूरो के रेकॉर्डर्स और ग्राहक द्वारा पहले मोरेटोरियम हासिल करते समय दिए गए जवाबों पर भी रिस्ट्रक्चरिंग का फैसला लेते समय विचार किया जाएगा.

3. विनियामक रिस्ट्रक्चरिंग रिलीफ पैकेज के अंतर्गत किन उत्पादों को कवर किया गया है.

- क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स
- ऑटो लोन्स और टू-व्हीलर लोन्स
- पर्सनल लोन्स (पर्सनल उपयोग और व्यवसाय/वाणिज्यिक प्रयोजनों दोनों के लिए)
- प्रोफेशनल्स के लिए पर्सनल लोन्स
- एजुकेशन लोन्स
- अचल संपत्तियों के निर्माण/वृद्धि के लिए दिए गए लोन्स (उदा. हाउसिंग लोन्स)
- एमएसएमई लोन्स उद्यम प्रमाणपत्र के साथ (कर्जदार को ३१ मार्च २०२१ के अनुसार गजट अधिसूचना एस.ओ.२११९(ई) दिनांक २६ जून २०२० की शर्तों के अनुसार एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत होना चाहिए)

4. किस प्रकार के लोन्स रिस्ट्रक्चरिंग के लिए पात्र नहीं है?

निम्नलिखित निकाय/ व्यक्ति लोन्स रिस्ट्रक्चरिंग के लिए पात्र नहीं हैं:-

- कृषि विषयक प्रयोजनों के लिए व्यक्ति/निकाय और कृषि ऋण के रूप में बैंक द्वारा वर्गीकृत
- एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसायटीज़
- फायनांशियल सर्विस प्रोवाइडर्स
- केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी निकाय
- एचडीएफसी बैंक कर्मचारी
- ऐसी हाउसिंग फायनांस कंपनियों का एक्सपोज़र जिन्हें पहले ही रिशेड्यूल किया जा चुका है.
- लोन्स जिन्हें पहले ही एक बार रिस्ट्रक्चर किया जा चुका है

5. मैं अपने लोन पर रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ कैसे ले सकता हूँ?

आप बैंक की वेबसाइट पर एप्लिकेशन लिंक के लिए विजिट करके, आवेदन पत्र भर सकते हैं और संबंधित विवरण जमा कर सकते हैं.

अपने लोन अकाउंट नंबर/ क्रेडिट कार्ड नंबर/ बैंक के साथ पंजीकृत ईमेल आईडी के साथ आवेदन फॉर्म पर लॉगिन करें और आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल पर ओटीपी भेजा जाता है. यदि आपने अपना नंबर बदल दिया है तो कृपया नंबर में बदलाव के लिए लिखित निवेदन निकटतम शाखा में दें, और सिस्टम पर नंबर बदलने के बाद आवेदन करें.

या फिर, आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर (आरएम) से संपर्क कर सकते हैं.

6. क्या मैं कई बार आवेदन कर सकता हूँ?

नहीं. आप रिस्ट्रक्चरिंग के लिए सिर्फ एक बार आवेदन कर सकते हैं.

7. मेरे लिए कौन से रिस्ट्रक्चरिंग के विकल्प उपलब्ध हैं?

बैंक की इच्छा के अधीन लोन की शेष अवधि को अधिकतम २४ महीनों तक के लिए और भी विस्तारित किया जा सकता है, जिसमें मोरेटोरियम अवधि शामिल है ताकि आपकी मासिक ईएमआई चुकौती का बोझ आसान हो सके.

8. क्या रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ लेने के लिए मुझे कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत है?

बैंक के पास आपके रोजगार या व्यवसाय की वर्तमान स्थिति के बारे में विवरण देते हुए दस्तावेज जमा करना आवश्यक होगा.

वेतनभोगी कर्जदारों के लिए:

- मार्च २०२१ के महीने की वेतन पर्ची और पिछले २ महीने की नवीनतम वेतन पर्ची
- अपेक्षित रिस्ट्रक्चरिंग अवधि (अधिकतम २४ महीने) समाप्त होने के तुरंत बाद अनुमानित वेतन/ आय की घोषणा.
- नौकरी से मुक्त किए जाने का पत्र (नौकरी नहीं रहने के मामले में)
- वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में अक्टूबर २०२० से वर्तमान दिनांक तक खाते का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जहां वेतन जमा किया जाता है

स्वरोजगार कर्जदारों/ निकायों के लिए:

- १ अप्रैल २०२० से वर्तमान दिनांक तक करंट/सीसी अकाउंट बैंक स्टेटमेंट
- अक्टूबर २०२० से वर्तमान दिनांक तक जीएसटी रिटर्न्स
- वि.व.१९ और वि.व. २० तथा वि.व. २१ के लिए आयकर रिटर्न्स (यदि फाइल किया गया हो)
- पिछले २ वर्षों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट/ बैलेंस शीट
- उद्यम प्रमाणपत्र
- स्वरोजगार प्रोफेशनल्स/ बिजनेसमेन द्वारा यह घोषणा कि उनका व्यवसाय कोविड-१९ द्वारा प्रभावित हुआ है.

कृपया लिंक पर आवेदन करने से पहले इन दस्तावेजों को तैयार रखें, क्योंकि अधूरे आवेदनों की प्रकि'या की जाने की संभावना नहीं होती है.

9. क्या रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज के लिए चयन करना मेरी क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट पर प्रभाव डाल सकता है?

विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, आपकी लोन/ क्रेडिट सुविधा की सूचना "रिस्ट्रक्चर्ड" के रूप में क्रेडिट ब्यूरो को दी जाएगी.

10. मैने बैंक से अनेक लोन्स/क्रेडिट सुविधाएँ ली हैं. क्या इनमें से हर लोन के लिए मुझे अलग अलग आवेदन करना होगा?

बैंक की वेबसाइट पर एकल आवेदन पत्र द्वारा एक या सभी लोन्स के लिए रिस्ट्रक्चरिंग आवेदन फॉर्म पर आवेदन करने का विकल्प होगा. बैंक कोविड-१९ के प्रभाव पर तथा उसके बारे में फैसला लेने से पहले चुकौती योजना की व्यवहार्यता पर विनियामक दिशानिर्देशों पर आवेदन का आकलन करेगा.

11. मेरे पास मेरी क्रेडिट सीमा के अंदर ईएमआई प्लान्स के साथ क्रेडिट कार्ड है. क्या मैं ईएमआई प्लान नहीं बल्कि सिर्फ कार्ड की बकाया राशि की रिस्ट्रक्चरिंग का चयन कर सकता हूँ?

क्रेडिट लिमिट के अंदर लोन्स सहित संपूर्ण क्रेडिट कार्ड बैलेंस को रिस्ट्रक्चर कया जाएगा और एक अलग लोन अकाउंट में रूपांतरित किया जाएगा.

12. मेरे क्रेडिट कार्ड पर मैने एक जम्बो लोन सुविधा ले रखी है. यदि मैं क्रेडिट कार्ड को रिस्ट्रक्चर करने का चयन करता हूँ तो क्या जम्बो लोन में रूपांतरण करना अनिवार्य है?

आप या तो कार्ड बैलेंस या जम्बो लोन या दोनों सुविधाओं को रिस्ट्रक्चर करने का फैसला कर सकते हैं.

13. यदि मैं रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम की सुविधा लेता हूँ तो क्या मेरा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक या डिऐक्टिवेट कर दिया जाएगा?

बैंक से लिए गए लोन/ क्रेडिट कार्ड पर किसी के लिए भी रिस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी एक बार मिल जाने पर आपका क्रेडिट कार्ड बिना किसी सूचना के निष्क्रिय कर दिया जाएगा. बैंक लोन ईएमआई पर चुकौती के आचरण के आधार पर १२ महीने बाद कार्ड पर अपनी इच्छा के अधीन नई मर्यादाएँ लगाने का फैसला कर सकता है.

14. क्या रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा पाने के लिए किसी न्यूनतम बकाया राशि की आवश्यकता है?

कार्ड/लोन बकाया राशि को रूपांतरित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बकाया बैलेंस है रु.२५,०००.

15. मैं स्वरोजगार वाला व्यक्ति/निकाय हूँ और मेरे पास अपना एक छोटा सा यूनिट है. क्या मैं राहत के लिए पात्र हूँ?

स्वरोजगार व्यक्ति/निकाय एमएसएमई श्रेणी तथा नॉन एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत दोनों के लिए राहत का पात्र है. बैंक अपने स्वरोजगार ग्राहकों को जहॉ भी प्रयोजनीय है सरकार के उद्यम पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराने का निवेदन करेगा. उद्यम पोर्टल लिंक: https://udyamregistration.gov.in/Government-of-India/Ministry-of-MSME/online-registration.htm

16. क्या अब मैं रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आवेदन कर सकता हूँ क्योंकि मैं पहले मोरेटोरियम के लिए आवेदन नहीं कर पाया था?

रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम बैंक के सभी ग्राहकों के लिए खुली है, फिर चाहे मोरेटोरियम के लिए आवेदन किया गया हो या नहीं, जो कि कर्जदार द्वारा रिस्ट्रक्चरिंग के विनियामक दिशानिर्देशों को पूरा करने के अधीन है.
.

17. मैं पहले ही रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा ले चुका हूँ. क्या मैं फिर एक बार इसका लाभ ले सकता हूँ?

यदि आपने रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा पहले ही ले रखी है तो आप इस स्कीम के अंतर्गत रिस्ट्रक्चरिंग के लिए पात्र नहीं हैं. फिर भी, यदि आपने पिछले स्कीम में २४ महीने की अवधि विस्तार का पूरा लाभ नहीं लिया है जो ३१ दिसंबर को समाप्त हुई है तो बैंक मूल्यांकन करके संपूर्ण अवधि को २४ महीने तक विस्तारित करके राहत दे सकता है.

18. मैने सह-कर्जदारों के साथ लोन लिया था. क्या मूल लोन एग्रीमेंट के सभी सह-कर्जदारों को संशोधित रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा?

विनियामक और कानूनी आवश्यकता के अनुसार, मूल लोन के सभी कर्जदार/सह-कर्जदारों को रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट सहित लोन स्ट्रक्चर में किसी भी बदलाव के लिए सहमत होने होगा और उस पर हस्ताक्षर करना होगा.

19. पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए अंतिम दिनांक क्या है?

पोर्टल पर लिंक २० सितंबर २०२१ को एकल लोन वाले ग्राहकों या २५ लाख से कम के समग्र एक्सपोजर के लिए शुरू होगी.

20. रिस्ट्रक्चरिंग आवेदन की स्थिति जानने के लिए मुझे कितना समय लगेगा.

बैंक १० से १४ कार्य दिवसों में ग्राहकों को आवेदन की प्रक्रिया और स्थिति के बारे में सूचना देगा.

21. मुझे स्वीकृति के लिए मंजूरी और सूचना कैसे मिलेगी?

बैंक टेक्स्ट मैसेज या ईमेल के माध्यम से पंजीकृत फोन नंबर या ईमेल एड्रेस पर रिस्ट्रक्चरिंग निवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी देगा.

22. क्या मुझे रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आगे की कागजी कार्रवाई करने की जरूरत होगी?

सभी लोन्स के लिए, आपको रिस्ट्रक्चरिंग को प्रभावी बनाने हेतु मंजूरी के बाद बैंक के लिए रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना होगा. यदि आप ही अकेले कर्जदार हैं तो बैंक एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर करने के लिए डिजिटल विकल्प प्रदान करेगा. यदि लोन स्ट्रक्चर पर दो या अधिक आवेदक हैं तो सभी आवेदकों को आवेदन और संशोधित एग्रीमेंट पर प्रत्यक्ष हस्ताक्षर करते हुए शर्तों को स्वीकार करना होगा और यह एग्रीमेंट निकटतम कस्टमर सर्विस डेस्क पर जमा कराया जाना चाहिए. ग्राहक को अपने पंजीकृत ईमेल आईडी पर/ सामान्य डाक द्वारा संशोधित शर्तें और परिशोधन अनुसूची की प्रति प्राप्त होगी.

अधिक पूछताछ के मामले में:
कॉर्पोरेट और एसएमई ग्राहक - कृपया अपने रिलेशनशिप मैनेजर से संपर्क करें
रिटेल इंडिविजुअल ग्राहक- कृपया हमें loansupport@hdfcbank.com पर लिखें.